तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
02/02/25	पत्रावली पेश। पत्रावली का अवलोकन किया गया। फूलचंद के विधिक वारिसान द्वारा प्रा० पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 28/05/15 में संशोधन करते हुए मृतक श्री फूलचंद के वारिसान का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु आदेशित किया जावे। चूंकि पूर्व में प्रार्थी की ओर से ही स्थगन लिया गया है, साथ ही प्रा० पत्र under section 212 वर्ष 2015 से निर्णीत नहीं हुई है। अतः अधि० प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि समय पर बहस करते हुए प्रा० पत्र under section 212 का निस्तारण करावें। वक्त फैसल प्रा० पत्र under section 212 इस प्रा० पत्र की विषयवस्तु का भी निस्तारण किया जावेगा। दिनांक 28/05/15 को पारित स्थगन आदेश को किसी मुरब्बर आदेश के तहत खारिज नहीं किया गया है एवं मौजूदा प्रा० पत्र के पक्षकार भी स्थगन प्रा० पत्र के पक्षकारों से भिन्न हैं। पूर्व में पारित स्थगन आदेश में संशोधन, बिना अप्रार्थीगण का पक्ष सुने, उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः मौजूदा प्रा० पत्र खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Priyanka सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर	